

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 1967/ज्येष्ठ 16, 1889

No. 312]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 1967/JYAISTHA 16, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June 1967

S.O. 2008.—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (b) of Clause 2 of the Newsprint Control Order, 1962, No. CH1-18(1)/62 dated the 17th January, 1962, the Government of India is hereby pleased to appoint Shri P. K. Sinha, Section Officer, Office of the Registrar of Newspapers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi to exercise the powers of the Controller under that Order, with effect from 9th May 1967.

2. The earlier Notification No. S.O. 424 dated the 2nd February, 1966 in so far as it relates to the appointment of Shri M. L. Tandon for exercising the powers of Controller under the said order is hereby cancelled.

[No. 8/1/67-I&EC.]

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 जून, 1967

एस० नो० 2009.—प्रख्तारी कागज नियन्त्रण आदेश, 1962, संख्या सी० एच० (1)-18 (1)/62 दिनांक 17 जनवरी, 1962 के खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करती हुई भारत सरकार एतद् द्वारा सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्ली के भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में, अनुभाग अधिकारी श्री पी० के० सिन्हा को 9 मई, 1967 से उक्त आदेश के अन्तर्गत नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहर्ष नियुक्त करती है।

2. 2 फरवरी, 1966 की विगत अधिसूचना संख्या एस० प्रो० 424 की, जहाँ तक कि वह उक्त आदेश के अन्तर्गत नियन्त्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए श्री एम० एल० टंडन की नियुक्ति से सम्बन्धित है, एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

[सं० 8/1/67—घाई तथा इ० सी०]

ए० सी० बमर्जी, संयुक्त सचिव।